

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक.....¹⁰⁵ /
/ दो-15-3 / 90

रीवा, दिनांक 12 / 04 / 2025

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती पद्मा जाटव चतुर्थ जिला न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में लंबित क्लेम प्रकरण क्रमांक-49/2024 मानेन्द्र सिंह वि सोमेश वगै० को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्रीमती अनु सिंह, 17वें जिला न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

^{3d11}
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्र०.....¹⁸⁸¹ /
दो-15-3 / 90

रीवा, दिनांक 12 / 04 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. चतुर्थ / 17वें जिला न्यायाधीश रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
4. जे०एस०ए० / डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

^{my}
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)